

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर

कार्यालय आदेश

कोविड-19 अन्तर्गत ड्यूटी के दौरान संक्रमण एवं उपचार के दौरान राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के परिपत्र क्रमांक प1(1)चिस्वा/गुप-2/2020 दिनांक 01-12-2020, 17-06-2021, 23-09-2021 एवं संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (गुप-2) विभाग के पत्रांक प.17(27)शिक्षा-2/2021 दिनांक 14-10-2021 से प्राप्त मार्गदर्शन के तहत कार्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मालूंगा ब्लाक तिवरी, जोधपुर से स्व. विरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, व्याख्याता-इतिहास की दिनांक 17-05-2021 को मृत्यु हो जाने पर जिला कलक्टर जोधपुर के प्रमाणीकरण क्रमांक 753 दिनांक 25-05-2021 के आधार पर, वित्त(नियम) विभाग के आदेश क्रमांक प. 12(3) वित्त (नियम)/2014 दिनांक 11-04-2020 के अन्तर्गत स्व. विरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, व्याख्याता के आश्रित श्रीमती कैलाश राजपुरोहित (पत्नी) को बजट मद 2071-01-104-02-00- कर्मचारियों के ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु के फलस्वरूप अनुग्रह अनुदान राशि रुपये 50.00 लाख (रुपये पच्चास लाख मात्र) स्वीकृत की जाती है।

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 75 के प्रावधानों की सभी शर्तों की पालना के अध्वधीन प्रदान की जाती है।



(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक:- 5/3/22

क्रमांक:- शिविरा-माध्य/संस्था/सी-2/वाणि-इति/कोविड क्लेम/विरेन्द्र/आर-02/2021/

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज.जयपुर।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राज.जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
4. संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा, जोधपुर मण्डल जोधपुर।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(मा.) मुख्यालय जोधपुर।
6. कोषाधिकारी, जोधपुर।
7. मुख्य ब्लाक शिक्षा अधिकारी प.स. तिवरी।
8. लेखाधिकारी, पेंशन एवं स्थिरीकरण अनुभाग, कार्यालय हाजा।
9. संस्था प्रधान राउमावि मालूंगा, तिवरी-जोधपुर
10. श्रीमती कैलाश राजपुरोहित पत्नी स्व. विरेन्द्र सिंह राजपुरोहित, 83 हनवन्त ए बी.जे.एस. कालोनी जोधपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर